धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 68/2021(GCMS: 2021/187) राज्य सरकार जरिये सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी (अभि.), कार्यालय **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बनाम पवन सोनी पुत्र हीरालाल सोनी निवासी वार्ड नं. 28, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.05.2022

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पवन सोनी के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर की बहस भी पूर्व में सुनी जा चुकी है। अप्रार्थी के अधिवक्ता की लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है कि :

थानाधिकारी, पुलिस थाना (सदर) सूरतगढ के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2021 पर प्रवर्तन अधिकारी (अभि.) कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर जांच हेतु दिनांक 19.09.2021 को दोपहर 12:15 बजे नंदलाल स्वामी के नोहरे बाबा रामदेव रोड़ पर सूरतगढ पहुंचे। उक्त स्थल पर दिनांक 18.09.2021 को पुलिस डीएसटी टीम द्वारा कुल 15 सिंथेटिक प्लास्टिक टंकियों में लगभग 30 हजार लीटर डीजल/कैमिकल बरामद होना बताया गया। मौके पर नोहरे पर कांस्टेबल श्री भवन प्रसाद बेल्ट नम्बर 738 उपस्थित मिले। नोहरे का निरीक्षण करने पर मौके पर "स्टार विन" लिखी 09 टंकियों में से 08 टंकियां संदिग्ध तरल पदार्थ से भरी व 01 टंकी खाली मिली। इसीप्रकार मौके पर **"गार्ड" लिखी 10 टंकियों में से 07 टंकिया संदिग्ध तरल पदार्थ से भरी व 03 टंकिया खाली मिली। इस प्रकार मौके पर कुल 19 टंकियों में से 15 टंकियां संदिग्ध तरल पदार्थ भरी हुई मिली।** उक्त सभी 15 टंकियां में भरे हुये तरल पदार्थ को सूंघने व देखने में पेट्रोलियम पदार्थ डीजल जैसी गंध आ रही थी। मौके पर श्री पवन सोनी पुत्र श्री हीरालाल सोनी निवासी वार्ड नं. 28, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को बुलाया गया तो उन्होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्वीकार किया कि उनके द्वारा यह नोहरा किराये पर लिया हुआ है। मौके से बरामद संदिग्ध तरल के बारे में उक्त व्यक्ति **श्री पवन सोनी द्वारा "Tax invoice, E-way Bill, Weighment slip, Transport slip, product specification typical properties की Slip प्रतियां पेश की गई जो जांच दल द्वारा साथ ली गई है।** मौके पर उक्त नोहरे से एक डिस्पेसिंग यूनिट jaspin Industries Instumetation chawadi bazaar dehli व 01 बिजली चलित मोटर मय दो प्लास्टिक पाईप, 01 पांच लीटर लोहे की कीप भी बरामद की गई हैं। मौके पर श्री पवन सोनी से नोहरे में बरामद संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखने के संबंध में **वैद्य दस्तावेज/परमिट/लाईसेंस या सरकारी अनुमति मांगने पर उने द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं होना जाहिर किया गया।** मौके पर पेश किया गया Tax invoice ALKA PETRO GLOBLE PRIVATE LIMITED GSTIN 24AAVCA3114F1ZW द्वारा जारी किया हुआ था तथा ई–वे बिल के अनुसर पदार्थ की **विक्रेता फर्म VINAYAK TRADE LINK GSTIN 08AIAPC4902B1Z3** होना पाया। Product specification typical properties में पदार्थ GTL LIGHT PARAFFIN लिखा हुआ है। उक्त अवैध बरामद 28800 लीटर संदिग्ध तरल पदार्थ को **मुताबिक बिल इनके द्वारा 59.00 रू. प्रति लीटर अनुसार 14,63,200+2,63,376 (जीएसटी) कुल 17,26,576 रू. का भुगतान करके खरीद करना जाहिर हुआ है। श्री पवन सोनी पुत्र श्री** हीरालाल सोनी निवासी वार्ड नं. 28 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा मौके पर उक्त नोहरे से बरामद अवैध संदिग्ध तरल/पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज/परमिट/लाईसेंस या [illegible] अनुमति नहीं पेश करने के कारण "अवैध 28800 लीटर [illegible] प्लास्टिक की 2000 लीटर क्षमता की टंकियां, 01 डिस्पेसिंग [illegible] मय नोजल, 01 बिजली चलित मोटर मय दो प्लास्टिक पाईप, 01 पांच लीटर लोहे की कीप" को मौके पर ही जरिये फर्द मौका निरीक्षण व जब्ती जब्त सरकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार श्री पवन सोनी पुत्र श्री हीरालाल सोनी द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा 2. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** इसलिए उक्त जब्तशुदा **28800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व 15 सिंथेटिक प्लास्टिक की 2000 लीटर क्षमता की टंकिया, 01डिस्पेसिंग यूनिट मय नोजल, 01 बिजली चलित मोटर मय दो प्लास्टिक पाईप, 01 पांच लीटर लोहे की कीप को राजसात करने** की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने अपनी बहस कथन किया था कि दिनांक 18.09.2021 को प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी द्वारा दोपहर 12.15 बजे नन्दलाल स्वामी के नोहरा, बाबा रामदेव रोड पर सूरतगढ पहुंचे वहा 15 सिन्थेटिक प्लास्टिक टंकियों में लगभग 30 हजार लीटर/कैमिकल बरामद होना बताया जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा टैक्स इन्वॉयस व अन्य बिल भी प्रस्तुत किये गये परन्तु फिर भी जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त डीजल/कैमिकल जब्त कर प्रार्थी के विरूद्ध 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

उनका आगे कथन था कि यह कैमिकल अपनी नवनिर्मित फर्म निकिता एन्टरप्राईजेज पता वार्ड नं 18, बैंक [illegible] पुलिस स्टेशन, सूतरगढ जो कि नन्दलाल स्वामी का नो[illegible] है जो प्रार्थी द्वारा किराये पर लेकर फर्म प्रारम्भ की गई थी। फर्म जीए[illegible] रजिस्टर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि उक्त कैमिकल प्रार्थी द्वारा शुरू की गई फर्म में पेंट बनाने के काम आता है। प्रार्थी द्वारा उक्त कैमिकल विनायक ट्रेडलिंक, पार्श्वनाथ सिटी, सी–64, नजदीक डीपीएस स्कूल, पाल बाईपास, जोधपुर के मार्फत मंगवाया गया था। उक्त कैमिकल विनायक ट्रेडलिंग द्वारा अल्का पैट्रो ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड, गुजरात से खरीद किया हुआ है जिसकी टैक्स इन्वॉयस भी अल्का पैट्रो ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड, गुजरात के नाम से विनायक ट्रेडलिंग के लिये जारी की हुई है जिसमें डेस्टीनेशन सूरतगढ वर्णित कर जारी किया गया है जो अर्जुन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के माध्यम से वाहन संख्या जीजे 12 बीबी 1691 के माध्यम से भेजा गया था जिसकी बिल व बिल्टी भी जांच अधिकारी को दी गई थी।

उनका आगे कथन था कि उक्त कैमिकल 24,800 किलोग्राम 17,26,576/– रूपये में जीएसटी 18 प्रतिशत भुगतान कर प्राप्त किया गया था। उक्त कैमिकल जीटीएल लाईट पैराफिन प्रकृति का पैट्रो कैमिकल है। जांच अधिकारी को ई–वे बिल डिस्पेच इंटीमेशन, वेटमेन्ट स्लिप, प्रोडक्ट स्पेशिफिकेशन स्लिप, निकिता एन्टरप्राईजेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन भी दिये गये है।

उनका आगे कथन था कि उक्त कैमिकल को जब्त करने के पश्चात इसके सैम्पल भी जांच अधिकारी द्वारा लिये गये जिसकी सैम्पल रिपोर्ट दिनांक 07.12.2021 को प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार उक्त जब्त पदार्थ पेट्रोल व डीजल की श्रेणी में नही है बल्कि पेट्रोलियम हाईड्रोकार्बन अंश का पदार्थ है, जिसकी फ्लैश प्वाईंट 78 [illegible]

उनका आगे कथन था कि [illegible] कैमिकल की एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैश प्वाईंट 78 [illegible] जो "सी" श्रेणी में का है। दी पैट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 7 के अनु[illegible] "बी" व "सी"श्रेणी के पेट्रोलियम पदार्थ के लिमिटेड स्टोरेज के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दी पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अनुसार **"बी श्रेणी" के उत्पाद में 2500 लीटर तक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है एवं "सी" श्रेणी पेट्रोलियम पदार्थ हेतु 45000 लीटर तक किसी प्रकार के अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नही है।** उक्त **जब्तशुदा पदार्थ सी श्रेणी का उत्पाद** है एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर जब्तशुदा पदार्थ का **फ्लैश प्वाईंट 78 डिग्री सेन्टीग्रेड** रहा है। जो "सी" श्रेणी का उत्पाद है जो ना तो अत्यन्त ज्वलनशील है और ना ही इसके भण्डारण एवं परिवहन हेतु किसी प्रकार की कोई अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है।

उनका आगे कथन था कि निकिता एन्टरप्राईजेज द्वारा विनायक ट्रेडलिंक के माध्यम से जो कि एक डीलर कम्पनी है, मंगवाया गया था जो पेंट का कार्य करने के लिए मंगवाया गया था। उक्त कैमिकल सी श्रेणी का है जिसके लिए किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति की आवश्यता नही होती है एवं **उक्त कैमिकल अल्का पेट्रोलियम से बिल के माध्यम से मंगवाया गया है जो एक रजिस्टर्ड कम्पनी है जिसके द्वारा उक्त कैमिकल विक्रय किया गया है।** इसलिए प्रार्थी के जब्तशुदा कैमिकल को मुक्त किये जाने के आदेश दिये जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि मौके पर पवन सोनी के नोहरे से 28800 लीटर डीजल/कैमिकल को जब्त सरकार किया गया है। दौरान जांच/तलाशी के पवन सोनी ने **"Tax invoice, E-way Bill, Weighment slip, Transport slip, product specification typical properties की Slip** पेश की गई है। **उक्त ई–वे बिल में 24880 कि.ग्रा. जीटीएल लाईट पैराफीन अंकित किया हुआ है जबकि मौके पर तलाशी के दौरान 28800 लीटर डीजल/कैमिकल जब्त सरकार किया गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि [illegible] रिफनेट और स्लॉप आदेश 2000 के अनुसार सभी पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आवश्यकता होती है। **वर्ग "ग" का भण्डार 5000 लीटर तक बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है** जबकि अप्रार्थी से 28,800 लीटर तरल पदार्थ जब्त किया गया है। इसलिए भी अप्राथी से जब्त किया गया 28,800 लीटर तरल पदार्थ जब्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि मौके पर अधिकारियों के समक्ष ऐसा कोई लाईसेंस/वैध परमिट पेश नहीं किया गया। यदि **मौके पर उनकी ओर से कोई दस्तावेज पेश किया गये होते तो उसके फर्द मौके के साथ संलग्न करके उसका विवरण फर्द मौका में अंकित किया गया होता।**

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी द्वारा जब्ती के समय प्रस्तुत टैक्स इन्वायस के आधार पर उक्त तरल पदार्थ अल्का पैट्रो ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा विनायक ट्रेड लिंक को विक्रय किया गया है और ई–वे बिल के आधार अल्का पैट्रो ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड से डिस्पैच होकर सूरतगढ आया है और **प्रार्थी ने जब्ती के वक्त निकिता एन्टरप्राईजेज का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस के साथ **रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित पते का मिलान जब्ती स्थान से भिन्न है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा नंदलाल स्वामी का नोहरा बाबा रामदेव रोड़ पर सूरतगढ पर अवैध तरीके से भण्डारण किया गया था।**

उनका आगे यह भी कथन था कि विनायक ट्रेड लिंक, जोधपुर के पास भण्डारण/विक्रय/[illegible] अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि उक्त फर्म के पास [illegible]/परिवहन की कोई अनुज्ञप्ति हो। ऐसा कोई दस्तावेज [illegible] के पास उपलब्ध होता तो वे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करते।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि पवन सोनी द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचाना, परिवहन व संग्रहण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाया और तवरिण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा 2 पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) **की** स्पष्ट उल्लंघन की है। इसलिए जब्तशुदा 28800 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ एवं 15 सिंथेटिक प्लास्टिक की 2000 लीटर क्षमता की टंकिया, 01 डिस्पेसिंग यूनिट मय नोजल, 01 बिजली चलित मोटर मय दो प्लास्टिक पाईप, 01 पांच लीटर लोहे की कीप को राजसात किया **जावे।**

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी पवन सोनी के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 18.09.2021 पर प्रवर्तन अधिकारी (अभि.) कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर जांच हेतु दिनांक 19.09.2021 को दोपहर 12:15 बजे नंदलाल स्वामी के नोहरे बाबा रामदेव रोड़, सूरतगढ पहुंचे। उक्त स्थल पर दिनांक 18.09.2021 को पुलिस डीएसटी टीम द्वारा कुल 15 सिंथेटिक प्लास्टिक टंकियों में लगभग 30 हजार लीटर डीजल/कैमिकल बरामद होना बताया। मौके पर नोहरे पर कांस्टेबल श्री भवन प्रसाद बेल्ट नम्बर 738 उपस्थित मिले। [illegible] निरीक्षण करने पर मौके पर "स्टार विन" लिखी 09 टंकियों में से 08 [illegible] संदिग्ध [illegible] पदार्थ से भरी व 01 टंकी खाली मिली। इसीप्रकार मौके पर [illegible] **लिखी 10 टंकियों में से 07 टंकिया संदिग्ध तरल पदार्थ से भरी व 03 [illegible] किया खाली मिली। इस प्रकार मौके पर कुल 19 टंकियों में से 15 टंकियां में संदिग्ध तरल पदार्थ भरा हुआ**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मिला। उक्त सभी 15 टंकियां में भरे हुये तरल पदार्थ को सूंघने व देखने में पेट्रोलियम पदार्थ डीजल जैसी गंध आ रही थी। मौके पर श्री पवन सोनी पुत्र श्री हीरालाल सोनी निवासी वार्ड नं. 28, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को बुलाया गया तो उन्होने स्वीकार किया कि उनके द्वारा यह नोहरा किराये पर लिया हुआ है। मौके से बरामद संदिग्ध तरल पदार्थ के बारे में उक्त व्यक्ति **श्री पवन सोनी द्वारा "Tax invoice, E-way Bill, Weighment slip, Transport slip, product specification typical properties की Slip प्रतियां पेश की की गई जो जांच दल द्वारा साथ ली गई।** मौके पर उक्त नोहरे से एक डिस्पेसिंग यूनिट jaspin Industries Instumetation chawadi bazaar dehli व 01 बिजली चलित मोटर मय दो प्लास्टिक पाईप, 01 पांच लीटर लोहे की कीप भी बरामद की गई। मौके पर श्री पवन सोनी से नोहरे में बरामद संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखने के संबंध में **वैद्य दस्तावेज/परमिट/लाईसेंस या सरकारी अनुमति मांगने पर उने द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं होना जाहिर किया गया।** मौके पर पेश किया गया Tax invoice ALKA PETRO GLOBLE PRIVATE LIMITED GSTIN 24AAVCA3114F1ZW द्वारा जारी किया हुआ था तथा ई–वे बिल के अनुसर पदार्थ की **विक्रेता फर्म VINAYAK TRADE LINK GSTIN 08AIAPC4902B1Z3** होना पाया। Product specification typical properties में पदार्थ GTL LIGHT PARAFFIN लिखा हुआ है। उक्त **अवैध बरामद 28800 लीटर संदिग्ध तरल पदार्थ** को **मुताबिक ई–वे बिल इनके द्वारा 59.00 रू. प्रति लीटर अनुसार 14,63,200 + 2,63,376 (जीएसटी) कुल 17,26,576 रू. का भुगतान करके खरीद करना जाहिर हुआ, जो कि 24800 लीटर तरल पदार्थ का है।** [illegible] सोनी पु[illegible]रालाल सोनी निवासी वार्ड नं. 28 सूरतगढ जिला श्रीगं[illegible] से बरामद अवैध संदिग्ध तरल/पेट्रोलियम [illegible] रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज/परमिट/लाईसेंस या सरकारी अ[illegible]ति नहीं पेश करने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

"अवैध 28800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व 15 सिंथैटिक प्लास्टिक की 2000 लीटर क्षमता की टंकिया, 01 डिस्पेसिंग यूनिट मय नोजल, 01 बिजली चलित मोटर मय दो प्लास्टिक पाईप, 01 पांच लीटर लोहे की कीप" को मौके पर ही जरिये फर्द मौका निरीक्षण व जब्ती जब्त सरकार किया गया।

इस प्रकार श्री पवन सोनी पुत्र श्री हीरालाल सोनी द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा 2. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** इसलिए उक्त जब्तशुदा **28800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व 15 सिंथेटिक प्लास्टिक की 2000 लीटर क्षमता की टंकिया, 01डिस्पेसिंग यूनिट मय नोजल, 01 बिजली चलित मोटर मय दो प्लास्टिक पाईप, 01 पांच लीटर लोहे की कीप को राजसात करने** की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी [illegible], अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य [illegible] या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध [illegible] साबित करने का भार कि उसके पास [illegible] प्राधिकार, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पवन सोनी से जब्त किया गया 28000 लीटर तरल पदार्थ कैमिकल विनायक ट्रेडलिंग, जोधपुर द्वारा अल्का पेट्रो ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड, गुजरात से **ई–वे बिल संख्या 651331652288 दिनांक 14.09.2021 को 24,800/– किलोग्राम राशि 17,26,576/– के द्वारा विक्रय किया गया है** तथा जिसमें **डेस्टनेशन 207 रिको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ कर दिया गया** है जबकि **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा 28800 लीटर तरल पदार्थ नंदलाल स्वामी का नोहरा, बाबा रामदेव रोड, सूरतगढ से जब्त किया गया है।** अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निकिता एस्टरप्राईजेज का जीएसटी रजिस्ट्रेशन में **व्यापार का पता Ward No. 18, Back Side, New Police Station, Suratgarh, Sri Ganganagar, Rajasthan - 335804** अंकित है इसप्रकार **जब्तशुदा स्थल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में व्यापार का पता एवं ई–वे बिल पर अंकित पता तीनों ही भिन्न भिन्न है**, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित/मौखिक बहस में उल्लेख नहीं किया है। साथ ही अप्रार्थी पवन सोनी के पास उक्त **नंदलाल स्वामी के नोहरे, बाबा रामदेव रोड, सूरतगढ में 28800 लीटर तरल पदार्थ भण्डारण को कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और ई–वे बिल के आधार पर जब्तशुदा तरल पदार्थ 24800 लीटर है जबकि मौके पर 28800 लीटर तरल पदार्थ पाया गया है,** जिससे भी यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी पवन सोनी द्वारा प्रस्तुत ई–वे बिल जब्तशुदा 28800 लीटर तरल पदार्थ का नही है इसके अतिरिक्त **ई–वे बिल में अंकित पता सूरतगढ 207, रिको इण्डस्ट्री एरिया, सूरतगढ** है जो **जब्तशुदा स्थान से अलग** है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्म का पता [illegible] Side, New Police Station, Suratgarh, Sri Ganganagar, [illegible] अंकित है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी पवन सोनी [illegible] लगातार अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया [illegible] रहा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(1) ....
>
> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "ग" के 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता से 28000 लीटर तरल पदार्थ जब्त किया गया हैं

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से 28[illegible] तरल पदार्थ भण्डारण किया हुआ जब्त हुआ है। अप्रार्थी के अधिवक्ता [illegible] विनायक ट्रेडलिंग, जोधपुर द्वारा अल्का पेट्रो [illegible] प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात से ई—वे बिल संख्या 6513 3165 2288 दिनांक 14.09.2021 को 24,800/— किलोग्राम राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

17,26,576/– के द्वारा विक्रय किया गया है तथा जिसमें डेस्टनेशन 207 रिको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सूरतगढ कर दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है जिसमें उक्त **जब्तशुदा स्थल नंदलाल स्वामी का नोहरा, बाबा रामदेव रोड, सूरतगढ का कोई उल्लेख नहीं किया गया** है और न ही उक्त स्थल पर उक्त तरल पदार्थ **क्रय/विक्रय/भण्डारण /परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही** है। जबकि राज्य सरकार ने अनुज्ञापत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 05.10.2006 को निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये है :

(13) क्रमांक : एफ.17(1)खा.वि./विधि/2000–1,

जयपुर, 5 अक्टूबर, 2006

दिशा–निर्देश द्वारा विशिष्ट शासन सचिव व अति. खाद्य आयुक्त वास्ते समस्त जिला कलेक्टर्स/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान सॉल्वेंट जैसे **ज्वलनशील उत्पादों से कारित होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के बचाव हेतु एवं भविष्य में सॉल्वेन्ट रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के तहत जारी किए जाने वाले अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में तथा व्यापार एवं भण्डारण स्थल से सुरक्षित होने की सुनिश्चतता करने के लिए** निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते है:

1. आवेदन पत्र में प्रस्तावित व्यापार/भण्डारण स्थल से 300 मीटर के रेडियस में किसी प्रकार की आबादी या रहवासी मकानात नहीं हो

....

12. यदि 2500 लीटर तक भंडारण क्षमता के अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है, तो अनुज्ञापत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदन पत्र में उल्लेखित व्यापार एवं भण्डारण स्थल के लिए जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

13. जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचायत तथा रसद विभाग की रिपोर्ट प्राप्त की जावें, कि आवेदन पत्र में प्रस्तावित व्यापार/भण्डार स्थल हेतु सुरक्षित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

14. बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगे। जिला रसद अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे। इस हेतु सॉल्वेन्ट अनुज्ञापत्र धारकों के व्यापार/भंडारण स्थल की सघन जांच करावें तथा अनुपयुक्त व्यापार स्थल व अवैध कारोबार की रोकथाम हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इस प्रकार अप्रार्थी पवन सोनी द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा 2. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12 की स्पष्ट उल्लंघन है।** इसलिए उक्त अप्रार्थी पवन सोनी से जब्तशुदा उक्त 28800 लीटर तरल पदार्थ एवं अन्य सामग्री **राजसात किये जाते है।**

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of [illegible] & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Ku[illegible] & [illegible]r. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Co[illegible] K.P. [illegible]ncis V State by Inspector of Police and [illegible] में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(I) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 28800

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 28800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए आदेश दिये जाते है।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

चूंकि उक्त प्रकरण में 28800 लीटर तरल पदार्थ को राजसात करने के आदेश दिये गये है जबकि अप्रार्थी द्वारा 24800 लीटर तरल पदार्थ को ई–वे बिल नं. 651331652288 (Tax Invoice APGL21221720 date 14-sep-2021) का है, इसलिए वाणिज्य कर विभाग उक्त ई–वे बिल की सत्यता की जांच करें और वाणिज्य कर विभाग द्वारा सरकार के कोई वैट सम्बन्धी कार्यवाही हो तो वह अपने स्तर पर करें। इस प्रकरण में उक्त वैट सम्बन्धी कार्रवाई, को इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखी जावे। इस आदेश की प्रति वाणिज्य कर अधिकारी/सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, घट द्वितीय प्रतिकरावचंन, वाणिज्य कर, श्रीगंगानगर, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना (सदर), सूरतगढ को दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:06 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर